पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा

बंगलादेश में हत्या के लिए उकसाना, विरोध दबाने के लिए हथियारों, ड्रोन, हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का आरोप

ढाका 17 नवंबर. बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को गत वर्ष देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ घातक कार्रवाई करने के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मौत की सजा सुनाई.

न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मौत की सजा सुनायी, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पांच साल की कैद की सजा सुनायी है. न्यायाधिकरण ने इन दोनों को मानवता के विरुद्ध विभिन्न

अपराधों के लिए दोषी ठहराया था. गौरतलब है कि हसीना इस समय भारत में निर्वासन में रह रही हैं. विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक कार्रवाई को लेकर हसीना, कमाल और श्री अल-मामून के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था. न्यायाधिकरण की ओर आज फैसला सुनाये जाने के दौरान अल-मामून उपस्थित रहे.

मारे गए थे 1,400 प्रदर्शनकारी

श्री अल-मामून ने जुलाई में अपना दोष स्वीकार किया था और सरकारी गवाह बन गए थे. न्यायाधिकरण के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने 2024 में बंगलादेश में कई हफ्तों की अशांति के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सैकड़ों हत्याओं के लिए उकसाया. इस दौरान लगभग 1,400 प्रदर्शनकारी मारे गए और 25,000 तक घायल हुए. हसीना पर पांच आरोप लगाये गये थे, जिनमें हत्या के लिए उकसाना, फाँसी का आदेश देना और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए घातक हथियारों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल को अधिकृत करना शामिल है. हसीना ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिये कई साक्षात्कारों में खुद पर लगे इन सभी आरोपों का खंडन किया और कहा था कि प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए इस्तेमाल की गई गोलियां बंगलादेश पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों से अलग थीं. कई विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि ये गोलियाँ असमाजिक तत्वों द्वारा चलाई गयी थीं. हसीना की कानूनी टीम ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों और उचित प्रक्रिया के अभाव का हवाला देते हुए, न्यायेतर, संक्षिप्त या मनमाने ढंग से की गयी सुनवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि से अपील की है.

भारत ने कहा – शांति लोकतंत्र बनाए रखें

भारत ने कहा शेख हसीना के बारे में वहां के एक न्यायाधिकरण के फैसले की जानकारी है और बंगलादेश के लोगों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है. हसीना को न्यायाधिकरण द्वारा सजा सुनाने पर प्रतिक्रिया करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है. हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे.

बंदरगाह पर 5 करोड़ के पटाखे जब्त

नई दिल्ली, 17 नवंबर. वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय ने चीन से तस्करी के जरिये भारत लाए जा रहे 3 हजार पटाखों के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

निदेशालय ने पटाखों का अवैध आयात रोकने के लिए फायर ट्रेल ऑपरेशन चलाया हुआ है. इसके साथ ही निदेशालय ने इस तरह के माल की तस्करी पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है जिसके तहत चीनी पटाखों की तस्करी के एक और गंभीर प्रयास का भंडाफोड़ किया है. आधिकारिक सूचना के अनुसार ऑपरेशन के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुंद्रा बंदरगाह पर चीन से आ रहा एक 40 फीट लंबा कंटेनर पकड़ा है जिसके बारे में बताया गया है कि उसमें गिलास सेट और फूलदान रखे थे लेकिन जांच पड़ताल के दौरान गिलास के ऊपरी हिस्से के पीछे 30,000 पटाखे छिपा कर रखे गये थे. प्राधिकरण ने पिछले महीने भी मुंबई और तूतीकोरिन में चीनी पटाखों के अवैध आयात के प्रयासों को विफल कर दिया था. जब्त किये गये कार्गो कवर/पटाखों की कीमत पांच करोड़ रुपये आंकी गयी है.

विदेश व्यापार नीति के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अंतर्गत पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन दोनों से वैध लाइसेंस की जरूरत होती है. आयातक के पास इस तरह के पटाखों के आयात के कोई वैध दस्तावेज़ नहीं थे और पकड़े जाने के बाद उसने स्वीकार भी किया है कि यह तस्करी का माल था. तस्करी के इन चीनी पटाखों को उनके कवर कार्गो माल सहित शनिवार को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया है. इस लेन-देन के साजिशकर्ता-सह-वित्तपोषक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जारी रहेगी भारत की विकास यात्रा : योगी

लखनऊ, 17 नवंबर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि मौजूदा सरकार लकीर की फकीर नहीं बन सकती. पिछले 11 वर्षों में देश के चहुंमुखी विकास को दुनिया ने देखा है और यह विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी.

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय (बीबीडी) के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उन्होने कहा हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते हैं. आपने भारत की विकास यात्रा को 11 वर्ष में देखा है और यह आगे भी जारी रहेगा. योगी ने कहा कि, आज आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स लोगो के दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है, अखिलेश दास जी यूनियन कैबिनेट में जब थे, उस समय मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था. उन्होने कहा, हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते है, आपने भारत की विकास यात्रा को 11 वर्षों में देखा है, मोदी जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया. योगी ने कहा कि अपने उन विभूतियों के प्रति जिनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव हो. भारत की प्राचीन परपंरा में जब कोई स्नातक गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके निकलता था तो शिक्षक द्वारा सन्देश दिया जाता था कि जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना.

सोमवार की सुबह एक मां के जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आया, जब वह 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलीं. उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सात माह के मासूम की बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने महिला की बात सुनी और तत्काल उन्हें एंबुलेंस से केजीएमयू भिजवाया. योगी के निर्देश पर हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे बच्चे का इलाज शुरू हो गया. वहीं 'जनता दर्शन' में प्रदेश भर से 60 से अधिक फरियादी आए, मुख्यमंत्री ने सभी के पास पहुंचकर उनकी शिकायतें सुनीं.

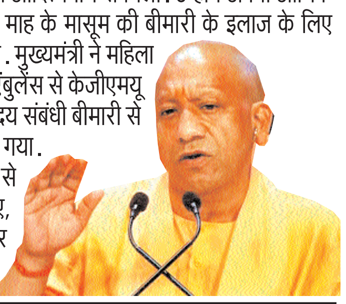

केरल में एसआईआर पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली 17 नवंबर. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयू) ने केरल में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रक्रिया राज्य में चल रही स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के समानांतर नहीं चल सकती. याचिका में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा 27 अक्टूबर को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसने एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह मनमाना, कानूनी रूप से अनुचित और अवास्तविक समय सीमा पर आधारित है.

वेकोलि की सभी खदानों का किया जाएगा निरीक्षण

वेस्टर्न कोलफील्ड्स में वार्षिक खदान सुरक्षा पखवाड़ा

नागपुर, 17 नवबंर. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 'वार्षिक खदान सुरक्षा पखवाड़ा 225' का उद्घाटन वेकोलि के निदेशक तकनीकी (संचालन/परियोजना एवं योजना) आनंदजी प्रसाद द्वारा किया गया.

इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. हेमंत शरद पांडे, कोल इंडिया सुरक्षा बोर्ड सदस्य सी. जे. जोसफ, संचालन समिति के सदस्य एस. आर. गबाले, महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) दिनेश बिसेन तथा वेकोलि मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों की विशेष

उपस्थिति रही. यह पखवाड़ा, खान सुरक्षा महा निदेशालय के तत्वावधन में, वेकोलि के सभी 47 खदानों (30 ओपनकास्ट और 17 अंडरग्राउंड) में 17.11.2025 से तक मनाया जाएगा.

इस पखवाड़े के दौरान वेकोलि की सभी खदानों का निरीक्षण, अन्य क्षेत्रीय खदानों से आने वाली बहु विषयक टीमों द्वारा किया जाएगा. यह क्रॉस-फंक्शनल दृष्टिकोण, वस्तु निष्ठता, ज्ञान साझा करने और सुरक्षा मानकों में उत्कृष्टता की एकीकृत प्रेरणा सुनिश्चित करेगा. इस पखवाड़े का उद्देश्य खनन कार्यों में सुरक्षा, सतर्कता और सतत सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना है. 'वार्षिक खदान सुरक्षा पखवाड़ा 2025' के लिए बेंच और डंप स्लोप स्थिरता तथा खानों में विस्फोटकों का सुरक्षित भंडारण, परिवहन और उपयोग प्रमुख कार्यों के तौर पर चुने गए हैं.

बाल ठाकरे की निर्भीक आवाज ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी

अरविंद केजरीवाल ने बाला साहेब को दी श्रद्धांजलि

नईदिल्ली, 17 नवंबर. केजरीवाल ने ठाकरे को दी श्रद्धांजलि, दृढ़ नेतृत्व का स्मरणम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिवसेना संस्थापक आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर एक्स पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने कहा कि ठाकरे की निर्भीक आवाज और निर्णायक नेतृत्व ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी. बाला साहेब ठाकरे भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ

नेताओं में गिने जाते हैं, जिनकी शैली, व्यक्तित्व और नेतृत्व का असर आज भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में दिखाई देता है. अरविंद केजरीवाल ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा कि ठाकरे केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसी प्रेरक शक्ति थे, जिन्होंने जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाने की परंपरा कायम की.

जिम टाइगर रिजर्व का बफर जोन प्रतिबंधित

सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली, 17 नवंबर. उच्चतम न्यायालय ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए कई दूरगामी संरक्षण निर्देश जारी किये हैं.

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन पूरी तरह से इको पर्यटन होना चाहिए और पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है. न्यायालय ने उन विशिष्ट गतिविधियों को सूचीबद्ध किया है जो रिजर्व के आसपास के बफर जोन और जलग्रहण क्षेत्रों

में प्रतिबंधित रहेगी. इनका उद्देश्य इन नाज़ुक पारिस्थितिकीय तंत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करना है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में कहा है कि उत्तराखंड सरकार को संरक्षित क्षेत्र में हुई अवैध वृक्ष कटाई की भरपाई के लिए ठोस उपाय करने चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश ने अपने परिवारों से दूर कार्यरत अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों की कठिन कार्य स्थितियों का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि इन कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें वन शिविरों में उन्नत बुनियादी ढाँचा शामिल है. न्यायालय ने आदेश दिया कि वन शिविरों में स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अभयारण्य की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को पर्याप्त सहायता मिले सके. न्यायालय के संरक्षण-केंद्रित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले की निगरानी जारी रहेगी.

प्रधानमंत्री मोदी कल कोयंबटूर में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

चेन्नई, 17 नवंबर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.

इसका उद्देश्य सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करना तथा किसानों की आजीविका में सुधार लाना है. इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय है भविष्य के लिए खेती, परंपरा में निहित है जिसका आयोजन कपड़ा नगरी के विशाल कोडिशिया व्यापार मेला परिसर में होगा. पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हमारे भविष्य का समाधान अपनी जड़ों की ओर लौटने में निहित है. उन्होंने

कहा कि प्रकृति दोहन करने वाला कोई संसाधन नहीं, बल्कि सम्मान योग्य भागीदार है. सूत्रों के अनुसार दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने तथा किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है.

आज का इतिहास

1727 महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। बंगाल के विद्यासागर चक्रवर्ती शहर के वास्तुकार थे।

1738 फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच शांति समझौता हुआ।

1772 पेशवा माधव राव प्रथम का निधन और उनके स्थान पर उनके छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली।

1910 क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था।

1918 उत्तरपूर्वी यूरोपीय देश लातविया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की।

दिल्ली विस्फोट मामला पूछताछ से आहत होकर पड़ोसी ने की आत्महत्या

श्रीनगर. दिल्ली विस्फोट मामले में जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के आरोपी के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस पूछताछ से आहत होकर खुद को आग कर आत्महत्या कर ली. उसके परिवार के अनुसार, यह घटना तब हुई जब पुलिस ने उसके बेटे और भाई को हिरासत में लिया और मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उसे भी बुलाया. अधिकारियों ने बताया कि काजीगुंड कुलगाम निवासी बिलाल अहमद वानी अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल के एक प्रमुख आरोपी डॉ. अदील राठेर के घर के पास रहता था. राठेर को दो हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गिरफ्तार किया था.

रूस ने यक्रेन के 36 ड्रोन को मार गिराया

मास्को, 17 नवंबर. रूसी वायु रक्षा चेतावनी प्रणालियों ने रविवार रात सात क्षेत्रों में 36 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराये. रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया है, पिछली रात, 16 नवंबर को मॉस्को समयानुसार रात 11 बजे से 17 नवंबर सुबह 7 बजे तक वायु रक्षा चेतावनी प्रणालियों ने 36 यूक्रेनी फिक्स्ड-विंग मानवरहित हवाई वाहनों को रोका और नष्ट कर दिया. बयान में कहा गया है कि इनमें से 14 को ब्रांस्क क्षेत्र में, आठ को तांबोव क्षेत्र में, पांच को उल्यानोवस्क क्षेत्र में और चार को वोरोनिश क्षेत्र में मार गिराया गया. इसके अलावा, ओर्योल क्षेत्र में तीन ड्रोन और निजनी नोवगोरोड तथा तुला क्षेत्रों में क्रमशः एक-एक ड्रोन को मार गिराया गया.

ब्रिटेन लगा सकता है कांगो पर वीजा प्रतिबंध

लंदन, 17 नवंबर. प्रवासियों की वापसी के मामले में अफ्रीकी देश के ब्रिटेन के साथ सहयोग नहीं करने की वजह से ब्रिटेन अंगोला, नामीबिया और कांगो के निवासियों के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा सकता है. ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अवैध रूप से ब्रिटेन आए प्रवासियों को वापस लेने से इनकार करने पर सज़ा के तौर पर ब्रिटेन के वीज़ा प्रतिबंधों का सामना करने वाले पहले देशों की घोषणा सोमवार को गृह सचिव शबाना महमूद द्वारा की जाएगी. समाचार पत्र के अनुसार, जब तक अफ़्रीकी देशों की सरकारें निर्वासन पर सहयोग में नहीं करतीं, तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे.

दलों में परिवारवाद हावी, एनडीए से 29 प्रत्याशी जीते

पटना, 17 नवंबर. बहार विधानसभा चुनाव में इस बार सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में परिवारवाद स्पष्ट रूप से हावी रहा है.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के भीतर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) चारों दलों में बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनका सीधा संबंध किसी न किसी राजनीतिक परिवार से था. इनमें से 29 उम्मीदवार चुनाव जीतने

में भी सफल रहे. भाजपा ने इस चुनाव में 101 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 89 सीटों पर पार्टी ने विजय हासिल की. इन विजेताओं में 11 नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं. इनमें शुमार प्रमुख नामों में सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, सुजीत कुमार, रमा निषाद, केदार नाथ सिंह, विशाल प्रशांत, राकेश रंजन और त्रिविक्रम नारायण सिंह. इन सभी नेताओं के परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं.

जदयू के 11 प्रत्याशी परिवारवाद के प्रभाव से जीते

जदयू ने भी 101 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 85 को जीत मिली. पार्टी के 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जीत ने परिवारवाद के प्रभाव को फिर उजागर किया है. इनमें ऋतुराज कुमार, चेतन आनंद, कोमल सिंह, शालिनी मिश्रा, मंजीत कुमार सिंह, रंधीर कुमार सिंह, महेश्वर हजारी, शुभेंदु मुकेश, विभा देवी, मनोरमा देवी और अनंत सिंह के नाम शामिल हैं.

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के अंतर्गत। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, ऋणी/ऋणकताओं को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही माँग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक का अतिरिक्त ब्याज, अदा करने हेतु सूचित किया जाता है। ऋणी/ऋणकताओं का विवरण, माँग सूचना की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु दी गई सुरक्षा राशि इस प्रकार हैः

उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)/का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री दुर्गा सिंह श्रीमती कोसा बाई श्रीमती मंजू, (प्रोस्पेक्ट नं. 900749, 960815)	16/10/2025 960815 का मूल्य रु. 77533/- (सत्तर हजार पाँच सौ तैंतीस मात्र) है और 900749 का मूल्य रु. 232667/- है (दो लाख बत्तीस हजार छह सौ सड़सठ मात्र)	1. संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो इस प्रकार हैः मकान सं.- जेएमसी 1284, एनबी-53 पीएच नं.-21/16, खसरा सं. - 258, 260, 262 का हिस्सा, बुचा कॉलोनी, बिलपुरा, Vfj, जबलपुर, 482005, म.प्र., भारत क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्रफल, निर्मितक्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 572.00, 380.00 2. संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो इस प्रकार हैः मौजा बिलपुरा, एनबी 53, पटवारी हल्का संख्या 21/16, खसरा सं.258, 260, 262, ग्राम बिलपुरा, जबलपुर, म.प्र.-482005 - भारत का एक प्लॉट। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, कालीनक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 572.00, 304.00, 380.00

यदि उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, जिसका जोखिम, लागत और परिणाम पूरी तरह से उधारकताओं के ही होंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: 225, नेपियर टाउन, द्वितीय तल, चंद्रिका टावर्स के सामने, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर-482001 या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थानः जबलपुर
दिनांकः 18.11.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

कब्जा नोटिस (अचल संपति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री अजय यादव, श्रीमती अनिल बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10307792)	पटवारी हल्का संख्या 57, खसरा संख्या 699, आंगनवाड़ी के पास, देवरिसानी, कटनी, म.प्र.,483501-भारत का वह पूरा टुकड़ा। क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मितक्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 1506.00, 464.00, 580.00	रु. 312422/- तीन लाख बारह हजार चार सौ बाईस मात्र	07-08-2025	13/11/2025
श्री भूरा लोधी श्रीमती सुस्ता बाई किराना दुकान (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10369324)	पटवारी हल्का संख्या 11, खसरा 483, कुएँ के पास, ग्राम देवरी खुर्द, रीठी, कटनी, मध्य प्रदेश, 483990, भारत का वह पूरा टुकड़ा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्रफल, कालीनक्षेत्रफल, निर्मितक्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 602.00, 480.00, 598.00	रु. 323879/- तीन लाख तेईस हजार आठ सौ उन्यासी मात्र	07-08-2025	13/11/2025

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः 225, नेपियर टाउन, द्वितीय तल, चंद्रिका टावर्स के सामने, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर -482001 या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः जबलपुर
दिनांकः 18-11-2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
"मिनी रत्न कम्पनी"
(कोल इण्डिया लिमिटेड का उपक्रम)

पर्यावरण स्वीकृति सूचना

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक EC identifaction no. EC25A0101MP5836552A तथा File No. J-11015/65/2016-IA.II(M) दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित बटुरा खुली खदान (Batura Open Cast Coal Mine project), जिला-अनूपपुर और शहडोल को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति (Amended Environment Clearance) प्राप्त हुई है। उक्त संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइटः https://parivesh.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है, व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, तथा क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल से भी प्राप्त किया जा सकता है। संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एसईसीएल की वेबसाइट https://secl-cil.in/ पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र. 01, ग्वालियर
ई-मेल :- mpphcgwaliorno1@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग क्र. 01, ग्वालियर द्वारा निविदा क्रमांक 24/2025-26 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक-2025_MPPHC_462829_1,2025_MPPHC_462830_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 10.12.2025 तक** ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : **https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/123033/2025 | परियोजना यंत्री

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	30566140	गृह ऋण	30.10.2025	रु.5,44,243.62/-

देनदार और सह-देनदारों का नामः- 1. अनिल अग्रवाल 2. अनंत अग्रवाल 3. नीतू अग्रवाल

संपत्ति का पताः संपत्ति/मकान का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 1215 वर्ग फुट, आबादी खसरा संख्या 573 के बाहर स्थित मकान, मौजे में स्थित- बरहा बाड़ा, पीएच नं. 80, बी. नं. 312, आर.एन.एम.- बबईकला, ब्लॉक चीची, तहसील- गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश-487881, और सीमा इस प्रकार है- पूर्व- सड़क, पश्चिम- मुरारी चौरसिया, उत्तर- सरकारी भूमि, दक्षिण- छोटेलाल साहू की भूमि.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांकः 18.11.2025
स्थानः नरसिंहपुर

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)